Security Regulations

यात्री केबिन में ''कृपाण'' का वहन

"कृपाण'' सिख धर्म का महत्त्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक है। भारतीय कानून के अनुसार, भारत के पंजीकृत विमान में यात्री अपने साथ कृपाण ले जा सकते हैं बशर्ते उड़ान का आरंभ तथा गंतव्य स्थान भारत में ही हो। कृपाण के माप की कुल लंबाई अधिकतम 9 इंच (22.86 से.मी.) से अधिक न हो जिसमें ब्लेड की लंबाई 6 इंच (15.24 सेमी) तथा हैंडल की लंबाई 3 इंच (7.62 सेमी) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय उड़ान के विमान के केबिन में "कृपाण" ले जाने की अनुमति नहीं है तथा यात्री इसका वहन केवल अपने चेक-इन बैगेज में ही कर सकते हैं।